मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0- 08 /2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: अप्रैल 27, 2022

विषय- क्रि0मिस0बेल0 अप्लीकेशन सं0 22391/2021 कुलदीप बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.06.2021 के अनुपालन के संबंध में साईबर ठगी के अपराधों की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

वर्तमान समय में साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधियों द्वारा दिन-प्रतिदिन नये-नये तरीको से आमजन के साथ वित्तीय धोखाधडी की जा रही है, जिसमें लकी ड्रा, आकर्षक ऋण पर लोन का प्रलोभन देना, टी0वी0 पर आने वाले प्रतियोगिता कार्यक्रम में धनराशि/पुरस्कार जीतने का झूठा प्रलोभन देना एवं टी0वी0 पर आने वाले प्रतियोगिता कार्यक्रम में धनराशि/पुरस्कार जीतने का झूठा प्रलोभन देना एवं आमजन को फर्जी फोन कर प्रलोभन देकर धोखाधडी करने से संबंधित घटनाओं को रोकने एवं साइबर अपराधियों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु पूर्व में इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित बाक्स में अंकित परिपत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

डीजी-परिपत्र सं0 -44/2021 दि0- 08.12.2021
डीजी-परिपत्र सं0 - 34/2021 दि0- 04.09.2021
डीजी-परिपत्र सं0 - 33/2021 दि0- 02.09.2021
डीजी-परिपत्र सं0 - 32/2021 दि0- 02.09.2021
डीजी-परिपत्र सं0 - 26/2021 दि0- 13.08.2021
डीजी-परिपत्र सं0 - 20/2021 दि0- 11.06.2021
डीजी-परिपत्र सं0 - 12/2020 दि0- 21.03.2020
डीजी-परिपत्र सं0 - 48/2019 दि0- 06.10.2019

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-22391/2021 में पारित आदेश दिनांकित 30.06.2021 द्वारा साइबर ठगी की दिन-प्रतिदिन बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुये इन घटनाओं पर रोक लगाने हेतु निम्नवत निर्देश पारित किये गये हैं-

> " The Director General of Police, U.P., Lucknow shall take immediate steps to trace out this widespread racket of hardened criminals, who are cunning cheats, calling up innocent citizens with alluring offers about extension of loans or lucky draws that they have won or rewards relating to TV shows, that have gone in their favour, so as to extract hard earned money from their pockets in these trying times. The Director General of Police, U.P., Lucknow shall immediately issue circulars to the District Police Heads to come down heavily on such cheats and frauds and bring them to book. "

.....2

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में साइबर ठगी के अपराधों की रोकथाम हेतु निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं, जिससे साइबर अपराध से पीडित व्यक्ति को न्याय मिले एवं अपराधियों पर कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. साइबर अपराध से संबंधित पीड़ित व्यक्तियों के अभियोग शत-प्रतिशत पंजीकृत किये जाये। उक्त के सम्बंध में सम्बंधित प्रभारी निरीक्षक एवं नोडल साइबर हेल्प-डेस्क की जिम्मेदारी तय की जाये।
2. वित्तीय धोखाधडी से संबंधित घटनाओं में जिसमें अभियोग पंजीकृत हैं उसका शीघ्र अनावरण करते हुये वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल की जाये।
3. जिन वित्तीय धोखाधडी के मामलों में घटनाओं के अनावरण हेतु तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो परिक्षेत्र स्तर पर संचालित साइबर क्राइम पुलिस थानों व साइबर क्राइम मुख्यालय पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क से आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त करें।
4. समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साइबर अपराधों की नियमित समीक्षा की जाये एवं विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण कराया जाये।
5. वित्तीय साइबर अपराधों में संलिप्त संगठित गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करायी जाये।
6. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित साइबर सैफ पोर्टल (Cyber Safe Portal½ पर साइबर क्राइम में संलिप्त समस्त मोबाईल नं0, बैंक अकाउण्ट, ई-मेल, बेवसाइट आदि का डाटा शत-प्रतिशत फीड कराया जाये।
7. साइबर अपराधों में तकनीकी सहायता हेतु परिक्षेत्र स्तर पर संचालित साइबर क्राइम पुलिस थानों व साइबर क्राइम मुख्यालय पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क से आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त करें।
8. डीजी परिपत्र 44/2021 दिनांक 18.12.2021 द्वारा साइबर अपराध की सुनवाई हेतु प्रदेश के प्रत्येक थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर क्राइम से संबंधित पीडितों की समस्याओं को सुन कर तुरन्त अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
9. साइबर क्राइम से संबंधित घटनाओ को साइबर वित्तीय फ्राड हेल्पलाइन नं0 1930 व बेवसाइट www.cybercrime.gov.in पर पंजीकृत कराया जाये। वित्तीय धोखाधडी से संबंधित मामलों में ठगी की गयी धनराशि को तुरन्त फ्रीज करायें ।
10. जनपद स्तर पर बैंक के अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर गोष्ठी कर साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान की जाय।
11. साइकैप्स पोर्टल(CYCAPS Portal) पर साइबर अपराधियों का विवरण शत-प्रतिशत फीड कराया जाये।
12. आमजनमानस को साइबर अपराधों से बचाने एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिये समय समय पर थाने व जनपद स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाये, जिसकी पाक्षिक सूचना साइबर क्राइम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

.....3

13. प्रदेश के समस्त थाने गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एनसीआरपी पोर्टल (NCRB Portal) से जुड़ चुके हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि एनसीआरपी पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों पर गम्भीरता से तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाये एवं सम्बंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाये।

अतः उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में निर्गत डीजी परिपत्रों के माध्यम से निर्गत निर्देशों के साथ-साथ उपरोक्त निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर लें तथा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी अधिकारी या कर्मचारी की शिथिलता प्रकट होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

27/4/22

(मुकुल गोयल)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।